मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 3768/3833019 /2025/18-1 भोपाल, दिनांक 08/10/2025

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगरपालिका परिषद्,
3. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगर परिषद्,

विषय : दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति न करने के संबंध में।

संदर्भ : म.प्र. शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 656/527/2000/सी/चार दिनांक 28.03.2000

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जो कि दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति न करने के संबंध में है। उक्त परिपत्र की कंडिका 3 में यह स्पष्ट किया गया है, कि "यह आदेश सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मण्डलों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों तथा सहकारी संस्थाओं पर भी लागू होगा।"

2. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है, कि कुछ नगरीय निकायों द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गई हैं, जो कि राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अत: उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 28.03.2000 के उपरांत नगरीय निकायों में नियुक्त किए गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रारूप में विभाग को दिनांक 25.10.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

क्र.	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का नाम	नियुक्ति का दिनांक	वर्तमान पारिश्रमिक	तत्कालीन आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी का नाम	नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन की अनुमति	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8/10/25

(प्रमोद कुमार शुक्ला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक एफ 3765/3883019/2025/18-1 भोपाल, दिनांक 08.10.2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु -

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
3. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।

8/10/25

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
कक्ष-1
आदेश क्र. 3833019/182
दिनांक 08/10/2025

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक 656/527/2000/सी/चार भोपाल, दिनांक 28.3.2000.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर.
मध्य प्रदेश.

विषय:- दैनिक वेतन पर किसी प्रकार की नियुक्ति न करने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों को सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कुछ विभागों में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर उसके स्थान पर अंशकालिक दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की जा रही हैं।

2 राज्य शासन द्वारा दिनांक 14.1.2000 को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि सभी प्रकार की नियुक्तियां प्रतिबंधित रहेगी। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार से दैनिक वेतन पर नियुक्ति न की जावे। इस संबंध में मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-दो के परिशिष्ट 6 के नियम-32 एवं 43 के अंतर्गत वर्णित पदों पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो ग्रीष्मकालीन स्थापना एवं आकस्मिकता निधि से भुगतान किये जाने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है, को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। यदि किसी कार्यालय में इस कार्य हेतु कर्मचारी की नितांत आवश्यकता हो तो सम्पूर्ण प्रकरण औचित्य सहित वित्त विभाग को भेजकर अंशकालीन पद स्वीकृत कराये जावें। यदि इन नियमों के तहत बिना पद स्वीकृति के विभागों में अंशकालिक दैनिक वेतन पर नियुक्ति की गयी हो तो ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को तत्काल सेवा से हटाया जाये। इसके बावजूद भी यदि दैनिक वेतन पर किसी प्रकार की नियुक्ति की जाती है तो इस प्रकार भुगतान किये गये वेतन की वसूली संबंधित अधिकारी से की जावेगी एवं उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश ऐसे कर्मचारी/अधिकारियों पर लागू नहीं होगें जिन्हें न्यायालय आदेश के तहत वापस शासकीय सेवा में लिया जाता है।

3 यह आदेश सार्वजनिक उपक्रमो, निगमों, मण्डलों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों तथा सहकारी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

4 यह आदेश तत्काल प्रभाशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता/-
(व्ही.एन. कौल)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग.

भोपाल, दिनांक 28.3.2000.

पृ0. क्रमांक 56/527/2000/सी/चार

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल
7. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय-85/61, तुलसी नगर, भोपाल।
8. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय-12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल ।
9. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45, बंगले, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल ।
10. महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल ।
11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, विन्ध्याचल भवन के पीछे, बेसमेन्ट, भोपाल ।
12. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85 तुलसी नगर, भोपाल ।
13. अध्यक्ष, म.प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल ।
14. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. वन कर्मचारी संघ, एच-11, फोरस्ट कालोनी, कोलार रोड भोपाल
15. प्रांतीय महामंत्री, म.प्र. अजाक्स संघ, कार्यालय 83/55 तुलसी नगर, भोपाल
16. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एम 191/4 राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षाण केन्द्र प्रांगण इतवारा भोपाल
17. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन कार्या. 18: जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल
18. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ कार्यालय 87अ/51 तुलसी नगर भोपाल
19. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजस्व निरीक्षक संघ वसंत कोठी नेहरू कालोनी थटीपुर ग्वालियर
20. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ कार्यालय महावीरपुरा मुरैना
21. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. पटवारी संघ मु.पो. टिमरनी, तह. कार्या. टिमरनी, जिला हरदा, म0प्र0
22. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
23. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
24. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
25. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

हस्ता/-

(एम.पी. व्यास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्र. एफ 5-14/1/वेआप्र/99

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी, 2000.

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-1988 के बाद दैनिक वेतन पर नियुक्त करने अथवा दैनिक वेतन पर कर्मियों को रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही.

सन्दर्भ.—वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 478/चार-ब-1/87, दिनांक 1-4-87 तथा एल 17/61/88-ब-7/चार, दिनांक 15-9-89, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 16-1188-वेआप्र/89, दिनांक 9-1-90, ज्ञाप क्रमांक 5-945/94/1/वेआप्र, दिनांक 21-12-94 तथा एफ 2-1/87/1/वेआप्र/96, दिनांक 9-1-96.

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 478/चार-ब-1/87, दिनांक 1-4-87 द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्ति संबंधी शासकीय अधिकारियों को प्रदत्त अधिकार तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी विभाग/अधीनस्थ अधिकारी आदि बिना राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति के किसी भी पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति आदि नहीं करेगा. राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त प्रतिबंध 90 दिन की अवधि के लिये की जाने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होगा. यदि इसके बावजूद भी, किसी अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की जाना पाया जाता है तब मजदूरी के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन से की जावेगी.

2. तत्पश्चात् वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एल 17/61/88/ब-7/4, भोपाल, दिनांक 15-9-89 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि 1 जनवरी, 1988 की स्थिति में रिक्त पदों को आगामी आदेश पर्यन्त नहीं भरा जावेगा. ये भी स्पष्ट किया गया था कि आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले पदों पर तथा दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी. यदि इन निर्देशों के उल्लंघन में किसी अधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई तब नियुक्तिकर्ता अधिकारी से नियुक्ति पर किये गये व्यय की राशि वसूली की जायेगी परन्तु उक्त प्रतिबंध दिनांक 1 जनवरी, 1988 के पश्चात् सृजित किये गये नये पदों पर लागू नहीं किया गया था.

3. समय-समय पर राज्य शासन के ध्यान में ये आया था कि कई विभागों में उपरोक्त शासन के निर्देशों के विपरीत कार्यवाही करते हुए नियुक्तियां की गई. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 5-2/94/1(3)वेआप्र, दिनांक 30-7-94 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 31-12-88 के पश्चात् पदों के बिना स्वीकृति के अथवा बिना अधिकार के नियुक्तियां की गई हों तो संबंधित व्यक्तियों की सेवाएं 1 अगस्त, 1994 के बाद निरन्तर नहीं रखी जावें. उस परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यांत्रिकी कार्य विभागों में वर्क चार्ज स्थापना में मस्टर रोल पर, आकस्मिक व्यय पर, हेण्ड रिसिट पर या कंटीजेंसी पर (आकस्मिकता व्यय) एवं 90 दिवस की अवधि के लिये जो भी नियुक्तियां की जाती हैं, वे सब इसमें सम्मिलित होंगे. यद्यपि उक्त आदेश एक न्यायालयीन याचिका के संदर्भ में बीच में स्थगित कर दिया गया था, परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 5-945/94/1(3) वेआप्र/94, दिनांक 21 दिसम्बर, 1994 द्वारा आदेश दिनांक 30-7-94 पुनः प्रभावशील किया गया. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 9-1-1996 द्वारा यह भी निर्देश दिये गये थे कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जो विभागाध्यक्ष ऐसे कर्मियों को निरन्तर रखेगा तो ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन पर जो खर्चे होगा, वह संबंधित विभागाध्यक्ष के वेतन से वसूल किया जावेगा.

4. राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि "जिन अधिकारियों ने शासन के आदेशों के विपरीत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं, उनसे इन कर्मचारियों के वेतन भत्ते, मजदूरी आदि तथा इनके प्रकरणों को न्यायालयों में प्रतिरक्षण पर आने वाले व्यय की वसूली नियुक्तिकर्ता अधिकारी से की जाए. जिन अधिकारियों ने 10 से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति इस अवधि में की है, उनके विरुद्ध "ब्रीच ऑफ ट्रस्ट" का आपराधिक मुकदमा चलाया जाए."

5. नियुक्तिकर्ता अधिकारियों से वसूली की कार्यवाही उपर्युक्तानुसार तत्काल की जाए. वसूली करने और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की जिम्मेदारी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष की होगी.

6. कृपया उपरोक्त कण्डिका 4 एवं 5 में दर्शित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जावे. की गयी कार्यवाही से इस विभाग को निश्चित रूप से दिनांक 29-2-2000 तक अवगत करावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से, तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(किरण विजय सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.